

भाग III  
संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।  
(प्रकरण क्रमांक FP/MP/IRRIG/35107/2018)

|   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। | जी नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।                                                                                                              | सहमत है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।                                                                                                                     | कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी सीधी जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा महान (गुलाब सागर) नहर विस्तार योजना हेतु वनमण्डल सीधी के वन परिक्षेत्र बहरी, के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-929 रकवा 0.483, पी.एफ.-930 रकवा 0.832, पी.एफ.-923 रकवा 1.536, कुल रकवा 2.851 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है।<br>वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सीधी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत नहर निर्माण हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है।<br>वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सीधी द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी नहर निर्माण हेतु 2.851 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है। |

तिथि : 5.10.2021

स्थान: रीवा

  
 (आनन्द कुमार सिंह भा.व.से. 2001)  
 मुख्य वन संरक्षक  
 रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

## Recommendation of CCF (प्रकरण क्रमांक FP/MP/IRRIG/35107/2018)

सीधी जिले के वनमण्डल सीधी में महान (गुलाब सागर) नहर विस्तार योजना में सीधी जिले के वन परिक्षेत्र बहरी, कक्ष क्रमांक पी.एफ.-929 रकवा 0.483, पी.एफ.-930 रकवा 0.832, पी.एफ.-923 रकवा 1.536, कुल रकवा 2.851 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित हो रही है।

वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सीधी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (2) के प्रावधानों के तहत कार्यपालन यंत्री महान नहर संभाग सीधी जिला सीधी (म.प्र.) को प्रस्तावित प्रयोजन के उपयोगार्थ वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सीधी द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी महान (गुलाब सागर) नहर विस्तार योजना हेतु 2.851 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

  
(आनन्द कुमार सिंह भा.व.से. 2001)  
मुख्य वन संरक्षक  
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)